न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी - पंकज गढ़वाल आर.ऐ.अस.

वाद सं. 101/2021

निर्णय दिनांक 25-6-2021

1.श्यामसुंदर पुत्र लिखमाराम जाति ब्राह्मण निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

2.सांवरमल पुत्र लिखमाराम जाति ब्राह्मण निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1.नाराणी पत्नि लिखमाराम जाति ब्राह्मण निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू जरिये मुखत्यार आम राजवीर पुत्र प्रतापसिंह जाति खाती निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरु

2.मन्जू पुत्री लिखमाराम जाति ब्राह्मण निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू जरिये मुखत्यार आम राजवीर पुत्र प्रतापसिंह जाति खाती निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरु

3.गायत्री पुत्री लिखमाराम जाति ब्राह्मण निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू जरिये मुखत्यार आम राजवीर पुत्र प्रतापसिंह जाति खाती निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरु

4.संतोष पत्नि राजवीर जाति खाती निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

5.राजवीर पुत्र प्रतापसिंह जाति खाती निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

6.श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट ।

उपस्थिति - 1.श्री चन्द्रभान कुलरिया एडवोकेट वास्ते - वादीगण

2.श्री रामसिंह एडवोकेट वास्ते - प्रतिवादी संख्या 1 से 5

3.पैरोकार राज - राज्य की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कृषि भूमि खसरा नं. 1175 तादादी 3.3400 हैक्टेयर, खसरा नं. 1183 तादादी 9.1100 हैक्टेयर कुल तादादी 12.4500 हैक्टेयर रोही सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू में स्थित है में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज भूमि ही विवादित कृषि भूमि है, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व उनके पिता व पति लिखमाराम का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार है जो हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शाषित होता है तथा विवादित कृषि भूमि पक्षकारान वाद के संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी मोरुसी जायदाद रही है जो पूर्व में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 वादिनी ससुर के खातेदारी की थी व वादीगण के दादा के स्वर्गवास के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति लिखमाराम के नाम खातेदारी में दर्ज हुई थी मगर वादीगण के दादा के स्वर्गवास के समय वादीगण भी विवादित कृषि भूमि के अपने पिता लिखमाराम के साथ ब.ही.ब. के सहदायिक थे जिस कराण वादीगण के दादा के स्वर्गवास के बाद विवादित कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण व उक्त लिखमाराम के ब.ही.ब. दर्ज होनी चाहिये थी मगर उक्त लिखमाराम ने बाला बाला विरास्तन नामान्तरकरण अपने अकेले के नाम से दर्ज करवा लिया जिससे वादीगण की सख्त हक तलफी हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की शादी के समय करीब 30 वर्ष पूर्व विवादित कृषि भूमि व संयुक्त हिन्दू परिवार की अन्य चल पैत्रिक संपत्ति का मोखिक पारिवारिक समझोता के द्वारा बंटवारा हुआ था जिस मोखिक पारिवारिक समझोता के अनुसार विवादित कृषि भूमि ब.ही.ब. वादीगण के खातेदारी व हक़ हिस्सा में रखी गई थी व संयुक्त हिन्दू परिवार की अन्य चल संपत्ति गहने नगदी आदि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दे दी गई थी जिस कारण मोखिक पारिवारिक समझोता के समय से वादीगण विवादित कृषि भूमि के ब.ही.ब. के काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं मगर उक्त लिखमाराम के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों से मिली भगत कर उक्त मोखिक पारिवारिक समझोता के विपरीत वादीगण व अपने ब.ही.ब. विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जिस विरास्तन नामान्तरकरण व उसके आधार पर जमाबंदी की प्रविष्टियां बिल मुक़ाबिल वादीगण प्रथमतः प्रभाव शून्य हैं तथा वादीगण विवादित कृषि भूमि ब.ही.ब. अपने खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी हैं, उक्त विरास्तन नामान्तरकरण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम गलत रूप से दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मन में लालच आने लग गया व इसी लालच वश उक्त प्रभाव शून्य विरास्तन नामान्तरकरण के आधार पर उनके नाम दर्ज 6/15 हिस्सा का मुखत्यार नामा दिनांक 10.03.2021 प्रतिवादी संख्या 5 के हक में तस्दीक करवाकर उक्त प्रभाव शून्य मुखत्यार नामा के आधार पर गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज 6/15 हिस्सा भूमि का दिनांक 20.03.2021 को विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 4 के हक में तहरीर

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

कर बाला बाला उप पंजीयक कार्यालय सिधमुख से अवकाश के दिन पंजीकृत करवा लिया जो बैनामा बिना वैध मुखत्यार नामा (उप पंजीयक से पंजीकृत नहीं होने) बिना कब्ज़ा, बिना अधिकार बिना प्रतिफल के वादीगण को उनके हक हिस्सा की विवादित कृषि भूमि से वंचित करने की नियत से करवाया गया होने से बिल मुक़ाबिल वादीगण प्रथमतः प्रभाव शून्य व बेअसर है विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक अविभाजित संपत्ति है तथा प्रतिवादी संख्या 4 संयुक्त हिन्दू परिवार से भिन्न अजनबी व्यक्ति है जो बिना भूमि का विधिवत विभाजन करवाये विवादित कृषि पर उक्त प्रभाव शून्य बैनामा के आधार पर कब्ज़ा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वादीगण के मुकाबले आर्थिक व राजनैतिक रूप से सबल हैं तथा राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों के साथ भी सांठ गाँठ है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ताकत के बल पर उक्त प्रभाव शून्य बैनामा के आधार पर विवादित कृषि भूमि पर जबरन कब्ज़ा कर व उक्त प्रभाव शून्य बैनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवा कर राजस्व रिकार्ड में सह खातेदार दर्ज होने व वादीगण को उनके हक़ हिस्सा व खातेदारी की विवादित कृषि भूमि से वंचित करने की फिराक में हैं तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने दिनांक 20.03.2021 को विवादित कृषि भूमि पर आकर एलानिया धमकी दी है जिस कारण वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिसके लिए यह वाद चिरस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिये पैश किया जा रहा है, वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से 5 को काफी कहा व कहलवाया कि वह विवादित कृषि भूमि में मोखिक पारिवारी समझोता के विपरीत दर्ज विरास्तन नामांतरकरण व उसके आधार पर दर्ज की गई राजस्व रिकार्ड की पृविष्टियाँ व उनके आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 के हक में तहरीर तकमील बैनामा प्रभाव शून्य स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि वादीगण की ब.ही.ब. खातेदारी की स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करा लेवे व विवादित कृषि भूमि के वादीगण के हक हिस्सा व कब्ज़ा कास्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे ना ही नामान्तरकरण दर्ज करवाकर तस्दीक करवाएं मगर प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने ऐसा स्पष्ट इनकार कर दिया जिस कारण इसी दिन से वादीगण को बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत दावा हाजा हेतु हासिल है लिहाजा विवादित कृषि भूमि वादीगण की ब.ही.ब. खातेदारी की घोषित की जावे व प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे आदि आदि पैश किया, प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जरिये वकील हाजिर अदालत आकर राजीनामा पैश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीगण से नाराज थी व राजस्व रिकार्ड में वाद गत भूमि में अपने नाम दर्ज हिस्सा का विक्रय नाराजगीवश प्रतिवादी संख्या 4 के हक में करवा दिया जबकि मुताबिक़ मोखिक पारिवारिक समझोता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का विवादित कृषि भूमि में ना तो कोई हक़ हिस्सा था ना ही कोई कब्ज़ा काश्त थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने विवादित कृषि भूमि में उनका कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं होना स्वीकार कर बैनामा बहक प्रतिवादी संख्या 4 प्रथमतः प्रभाव शून्य होना स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

किया, प्रतिवादी संख्या 6 ने वाद पत्र में कोई राज्य हित नहीं होना कथन किया है । वाद पत्र का कोई खंडन पैश नहीं हुआ है जिस कारण वाद में तनकियात कायम करने व मोखिक साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2073 - 76 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कृषि भूमि खसरा नं. 1175 तादादी 3.3400 हैक्टेयर, खसरा नं. 1183 तादादी 9.1100 हैक्टेयर कुल तादादी 12.4500 हैक्टेयर रोही सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू में ब.ही.ब. 2/3 हिस्सा के खातेदार दर्ज हैं तथा वाद पत्र व इकबाल दावा के मुताबिक़ उक्त भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी जायदाद रही है जिसके सम्बन्ध में करीब 30 वर्ष पूर्व मोखिक पारिवारिक समझोता हुआ था जिस पारिवारिक समझोता के अनुसार उक्त भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण की ब.ही.ब. खातेदारी व कब्ज़ा काश्त की रखी गई थी व तब से आज तक वादीगण ही वाद गत भूमि के खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के हक में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2021 प्रथमतः प्रभाव शून्य है जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का विवादित कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज 6/15 हिस्सा वादीगण के हक में खातेदारी का घोषित होने से प्रतिवादी संख्या 6 के राजस्व की हानी होने का प्रश्न है प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने इकबाल दावा के साथ हक़ त्याग पत्र के लिये देय अधिकतम राजस्व शुल्क के 5000 रुपये का स्टाम्प पैश किये हैं जिस कारण वाद वादीगण स्वीकार किये जाने से किसी पक्षकार को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है जिस कारण प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व इकबाल दावा के द्वारा वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल हुये हैं अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है चूँकि प्रतिवादीगण ने इकबाल दावा पैश किया है जिस कारण निषेधाज्ञा का अनुतोष निष्प्रभावी हो गया है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नं. 1175 तादादी 3.3400 हैक्टेयर, खसरा नं. 1183 तादादी 9.1100 हैक्टेयर कुल तादादी 12.4500 हैक्टेयर रोही सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू में से 2/3 हिस्सा भूमि के वादीगण ब.ही.ब. के खातेदार काश्तकार हैं शेष 1/3 हिस्सा के गजानंद पुत्र मु.रामप्यारी खातेदार बदस्तूर रहेगा । खर्चा वाद पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.6.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(जाब्ता दीवानी 7-6 रूल 20 आर्डर)

अज अदालत - सहायक कलक्टर मुकाम राजगढ़ जिला चूरू

ब इजलास पंकज गढ़वाल आर अस.ऐ.

श्यामसुन्दर आदि बनाम नाराणी आदि

नम्बर मुक़दमा 10 1 सन 2021

वाद घोषणात्मक

यह मुक़दमा आज वास्ते इनफिसाल रु----------रु हमारे-ब-

बहाजरी -- 1.श्री चन्द्रभान कुलरिया एडवोकेट वास्ते - वादीगण

2.श्री रामसिंह एडवोकेट वास्ते - प्रतिवादी संख्या 1 से 5

3.पैरोकार राज - राज्य की ओर से

मिनजानिब व मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती -------

हैकि विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 1175 तादादी 3.3400 हैक्टेयर, खसरा नं. 1183 तादादी 9.1100 हैक्टेयर कुल तादादी 12.4500 हैक्टेयर रोही सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू में से 2/3 हिस्सा भूमि के वादीगण ब.ही.ब. के खातेदार काश्तकार हैं शेष 1/3 हिस्सा के गजानंद पुत्र मु.रामप्यारी खातेदार बदस्तूर रहेगा । खर्चा वाद पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे ।चीज -- बाबत -- मुवलिंग --

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख --

वसुलदावी तक को अदा करें --। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 6 सन 2021 को जारी की गयी ।

मुहर

दस्तखत/ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)